In case of recruitment by Promotion or Deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not Applicable	**Group-'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (i)Head of Department or Joint Director, National Atlas & Thematic Mapping Organisation -Chairman; (ii)Deputy Director,National Atlas & Thematic Mapping Organisation -Member; (iii)Senior Administrative Officer/ Head of Office, National Atlas & Thematic Mapping Organisation - Member.	Consultation with UPSC is not necessary

[F. No. SM/02/02/2020]

ANITA DHADRA, Under Secy.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 123.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसंधान अधिकारी (भर्ती) नियम, 2012 का अधिक्रान्त करते हुए उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में अनुसंधान अधिकारी के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, अनुसंधान अधिकारी भर्ती नियम, 2021 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

   (क). जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   (ख). जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,या विवाह की संविदा की है!

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	आयु-सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
अनुसंधान अधिकारी	3* (2021) * कार्यभार भिन्नता के अधीन	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10, (56100 रू.-177500 रू.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यता	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता प्रोन्नति वाले मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ आमेलन द्वारा ।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने हेतु केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11	12	13
प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ आमेलन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त अथवा कानूनी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था या अनुसंधान संस्थान के अधीन ऐसे अधिकारी (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सद्रश पद धारण किए हुऐ हैं; अथवा (ii) जिन्होने मूल काडर या विभाग में स्तर-9 (53100 रूपए-167800 रूपए) अथवा स्तर 8 (47600 रूपए – 151100 रूपए) या समतुल्य पदों पर वेतन मैट्रिक्स में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्षों की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ता और अनुभव रखते हों;	लागू नहीं होता	पद को भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र या व्यवसाय संबंधी अर्थशास्त्र या अर्थमिति में स्नातकोत्तर डिग्री; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र में एक पेपर के साथ गणित या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री ; और (ii) अनुसंधान, अन्वेषण, संग्रहण, संकलन निर्वचन और सांख्यिकी डाटा के विश्लेषण के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव **टिप्पण 1:** आमेलन के लिए केवल केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारियों पर विचार किया जाएगा। **टिप्पण 2:** केंद्रीय सरकार के इसी अथवा अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित अन्य पूर्व कॉडर पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा को सम्मिलित करते हुए) की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा को सम्मिलित करते हुए) समान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा को सम्मिलित करते हुए) पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राप्ति की समापन तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए-12018/1/2019-स्था. (जी)]

शंभू दत्त सती, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

New Delhi, the 8th September, 2021

G.S.R. 123.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Research Officer (Recruitment) Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Research Officer in the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, namely:-

1. Short title and commencement.— (1)These rules may be called the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Research Officer Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.–The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,–

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Research Officer	3* (2021) * (Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level 10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500/-)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of posts to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation (including short-term contract) / absorption

In the case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<u>Deputation(including short-term contract) / absorption:</u> Officers of the Central Government or State Government or Union territory administration or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or recognised University or institute or research institution,- (a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service rendered after appointment to the post on a regular basis in posts in level-9 of the pay matrix (Rs. 53100-167800/-) or level-8 of the pay matrix (Rs. 47600-151100/-) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Masters degree in Economics or Applied Economics or Business Economics or Econometrics from a recognised University or institute;	Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

or Masters degree in Mathematics or Statistics with at least one paper in Economics from a recognised University or institute; and (ii) three years experience in the field of research, investigation, collection, compilation, interpretation and analysis of statistical data. **Note 1**: The Central Government or State Government or Union territory officers shall only be considered for absorption. **Note 2**: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A-12018/1/2019-Estt. (G)]

SHAMBHU DATT SATI, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM